न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/72/2004/जैसलमेर

1– प्रेमाराम पुत्र भंवरू राम जाति मेघवाल, निवासी जैसलमेर,

2– श्रीमती कमला पत्नि श्री माना राम पुत्री श्री भंवरूराम, जाति मेघवाल, निवासी जैसलमेर ।

3– श्रीमती सुन्दर पत्नि श्री अम्बा राम पुत्री श्री भंवरूराम, जाति मेघवाल, निवासी जैसलमेर ।

4– श्रीमती केवली पत्नि श्री हजारा राम पुत्री श्री भंवरूराम, जाति मेघवाल, निवासी जैसलमेर ।

5– कुमारी देवकी पुत्री भंवरूराम, जाति मेघवाल, निवासी जैसलमेर ।

6– डूंगराराम पुत्र आमदाराम, जाति मेघवाल, निवासी जैसलमेर ।

7– नेचलराम पुत्र भेराराम, जाति मेघवाल, निवासी जैसलमेर ।

8– गुणाराम पुत्र भेराराम, जाति मेघवाल, निवासी जैसलमेर ।

9– गुमानाराम पुत्र भेराराम, जाति मेघवाल, निवासी जैसलमेर ।

–अपीलांटस

बनाम

1– आनन्द कुमार पुत्र श्री रामरतन, जाति ब्राहम्ण केवलिया, निवासी जैसलमेर ।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, फतेहगढ़, जिला जैसलमेर ।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री नरेन्द्र गुप्ता, सदस्य
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री एन0के0गोयल, अधिवक्ता अपीलांटस

श्री के0के0पुरोहित, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः— 25.02.2025

अपीलांटस द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा अपील संख्या 9/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 1 लगायत 5 के पिता भंवरूराम एवं अपीलांट संख्या 5 लगायत 9/वादीगण ने प्रतिवादी राज0सरकार एवं प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र सुल्तान के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत सहायक कलेक्टर, जैसलमेर के न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादीगण के स्वर्गीय पिता श्री आमदाराम व भेराराम पि0 देशलराम कौम मेघवाल की खातेदारी भूमि ग्राम नेडिया, तहसील व जिला जैसलमेर में समरी खसरा नंबर 6 में आई हुई है, जिसका रिकार्ड अनुसार 57 बीघा 10 बिस्वा रकबा बताया गया है । मौके पर वास्तव में समरी खसरा नंबर 6 का रकबा 70 बीघा 17 बिस्वा था । समरी खसरा नंबर 6 के हाल खसरा नंबर 180 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 181 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा राजस्व रिकार्ड ग्राम नेड़िया के बने है । तुलनात्मक रजिस्टर में कॉलम नंबर 18 में यह इंद्राज है कि खसरा नंबर 180 व 181 एक ही खेत है व खसरा नंबर 181 खसरा नंबर 180 का भाग है तथा साथ ही कॉलम नंबर 19 व 20 में यह नोट दर्ज कि वादीगण काश्तकार अनुसूचित जाति के है व समरी के मुकाबले 57 बीघा 10 बिस्वा के अलावा 15 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो उसी चक में है जिसे उक्त लोगों की मानी जानी चाहिये । वादीगण आज तक लगातार उक्त समरी खसरा नंबर 6 व हाल खसरा नंबर 180 व 181 कुल रकबा 70 बीघा 17 बिस्वा पर वादीगण के पिता व उनकी मृत्यु उपरांत वादीगण का कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार काबिल चले आ रहे है । किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम खसरा नंबर 180 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा दर्ज किया गया तथा खसरा नंबर 181 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा भूल से राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज नहीं की गई । हाल खसरा नंबर 181 की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल पुत्र सुल्तान चंद के नाम अलोट कर दी गई जबकि खसरा नंबर 181 की भूमि पर वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त है । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को खसरा नंबर 181 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा

का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल के कायम मुकाम अकलूदेवी का नाम उक्त खसरा 181 से हटा कर रिकार्ड शुद्धि की जावे । उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.1998 को वाद स्वीकार कर डिक्री किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध श्रीमती अकलूदेवी पत्नि सुल्तानचंद ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर के न्यायालय में पेश की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.12.2000 के द्वारा स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2003 के द्वारा वादीगण का वाद डिक्री किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2003 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10. 2003 के द्वारा वर्तमान रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2003 को निरस्त किया । प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2003 से व्यथित होकर अपीलांटस/वादीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।

3– हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम उनके पूर्वजों के समय से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 01 यह कायम की थी कि–''आया वाके ग्राम नेडिया के खसरा नंबर 181 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को गलत आवंटित की गई ।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था । वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित किया था खसरा नंबर 181 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा पुराने खसरा नंबर 6 से बना है । पुराना खसरा नंबर 6 पूर्वजों के समय से वादीगण की खातेदारी में दर्ज रहा है । इस तथ्य को वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्यों से भी साबित किया गया था । खसरा नंबर 180 व 181 पर वादीगण का ही

कब्जा काश्त चला आ रहा है । आवंटन के पश्चात् खसरा नंबर 181 पर कभी भी प्रतिवादी/रेस्पो0 को कब्जा प्रदान नहीं किया गया है । इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । खसरा नंबर 180 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नंबर 181 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है जो खसरा नंबर 6 का भाग है । विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 इस प्रकार कायम की थी कि–''आया ग्राम नेडिया के खसरा नंबर 180 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 181 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा वादीगण की पुश्तैनी है जिस पर दिनांक 15.10.1955 के पूर्व से अब तक निरन्तर काबिज काश्त होने से खातेदार हो चुके है तथा यह भूमि खसरा नंबर 6 का भाग है '' इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादीगण ने तुलनात्मक विवरण पेश किया था जिससे स्पष्ट है कि खसरा नंबर 180 व 181 पुराने खसरा नंबर 6 का भाग होकर एक चक है जिस पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है । खसरा नंबर 181 बिना किसी अधिकार एवं आदेश के सिवायचक दर्ज होने के उपरांत प्रतिवादी भंवरलाल को अलोट किया गया था । बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी आनंद कुमार के पास कोई अधिकार नहीं है । वह आवंटी की मां स्व0 श्रीमती अकलू द्वारा उनके पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर खुद को आवंटी का कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करते है । प्रतिवादी द्वारा वसीयत को किसी भी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है । विवादित भूमि स्व0 भंवरलाल को आवंटित की गई थी तथा उक्त आवंटन पर आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है केवल मात्र मुहर लगी हुई है । वसीयत को उपनिवेशन अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है अर्थात् उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के तहत भूमि को किसी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत के माध्यम से हस्तातंरित नहीं किया जा सकता है । इसके बावजूद राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रतिवादी की अपील स्वीकार करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2003 निरस्त किया जावे ।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2003 विधिसम्मत्

है। समरी बंदोबस्त के खसरा संख्या 6 का रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा था और उसके अनुसार ही वादीगण को 57 बीघा 10 बिस्वा का पर्चा लगान जारी किया गया था । इसके विपरीत रेस्पो0 के पूर्वज भंवरलाल को वर्ष 1971 में ग्राम नेडिया में 75 बीघा का आवंटन किया गया था और स्थाई बंदोबस्त के अनुसार हाल खसरा संख्या 181 का कब्जा उन्हें सौंपा गया था । उक्त खसरा नंबर 181 का समरी खसरा संख्या 31 है जो सिवायचक था । तुलनात्मक रजिस्टर में हाल खसरा संख्या 181 का रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा का नोट लगाने से प्रतिवादी/रेस्पो0 के अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है । तुलनात्मक रजिस्टर संवत 2022 में तैयार किया गया था एवं नये खसरा नंबर संवत् 2032 में लागू किये गये । ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार की त्रुटि हुई थी तो उक्त अवधि के दौरान वादीगण को चाराजोही करनी चाहिये थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई है । वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर वाद पेश किया था । खसरा गिरदावरी संवत् 2032 से 2049 प्रदर्श–ए–1 के अनुसार विवादित भूमि पर प्रतिवादी व उसके पूर्वजों का कब्जा प्रमाणित है ऐसी स्थिति में वादीगण का यह कथन कि विवादित भूमि पर कब्जा काश्त 15.10.1955 से चला आ रहा है किया गया कथन असत्य है । विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत वादीगण का वाद डिक्री किया था जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत् रूप से निरस्त किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस ने विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का वाद पेश किया कि ग्राम नेड़िया, तहसील जैसलमेर में समरी खसरा संख्या 6 आई है, जिसका रिकार्ड के अनुसार 57 बीघा 10 बिस्वा बताया गया था । जबकि वास्तव में समरी खसरा संख्या 6 का रकबा 70 बीघा 17 बिस्वा था । समरी खसरा संख्या 6 ग्राम नेड़िया के हाल खसरा नंबर 180 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 181 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा बने है । तुलनात्मक रजिस्टर के कॉलम नंबर 18 में यह भी इंद्राज है कि हाल खसरा ंनबर 180 व 181 एक ही खेत है व खसरा नंबर 181 खसरा

नंबर 180 का ही भाग है । कॉलम नंबर 19 व 20 में यह भी नोट दर्ज है कि वादीगण/काश्तकार अनुसूचित जाति के है व समरी के मुकाबले 57 बीघा 10 बिस्वा के अलावा 15 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो उसी चक में है, जिसे उक्त लोगों की मानी जानी चाहिये । वादीगण ने आगे कथन किया कि खसरा नंबर 180 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा भूमि तो दर्ज कर दी गई किन्तु खसरा नंबर 181 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज नहीं की गई है जबकि उक्त खसरा नंबर 181 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा पर कब्जा काश्त वादीगण का ही चला आ रहा है । इसके बावजूद खसरा नंबर 181 प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र सुल्तानचंद के नाम गलत तौर पर आवंटन कर दी गई है । इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एक्जी.2 खाका रजिस्टर तुलनात्मक रकबा इंद्राज ग्राम नेड़िया तहसील जैसलमेर संवत् 2022 का अवलोकन किया गया । उक्त दस्तावेज के कॉलम संख्या 3 अनुसार समरी खसरा संख्या 6 रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा आमदा, भेरा पि0 देशल कौम मेघवाल सा0 जैसलमेर खातेदार का अंकन है । इसी रजिस्टर के कॉलम संख्या 8 के अनुसार में आमदा, भेरा पि0 देशल कौम मेघवाल सा0 जैसलमेर खातेदार का अंकन होकर कॉलम संख्या 15 में रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा का अंकन है। इसी रजिस्टर के कॉलम संख्या 18 में यह अंकित है कि ''खसरा नंबर 180 व 181 एक खेत है समरी के रकबा के ताफावत से नंबर जुदा दिया है एवं खसरा नंबर 181 सखसरा नंबर 180 का जुड़े है ।'' विशेश विवरण के कॉलम में यह नोट अंकित है कि काश्तकार शिड्यूल कास्ट से है, 57 बीघा 10 बिस्वा जमीन अधिक नहीं है । रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा रकबा जो बेशी है चक में है । समरी के मुकाबले काबिल लिहाज माना जाना चाहिये । श्रीमान् एस0ओ0साहब के मुलाहजा के लिए पेश किया जावे । इसके विपरीत प्रतिवादी का कथन है कि समरी बंदोबस्त में खसरा संख्या 6 का रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा था और उसी अनुसार वादीगण को 57 बीघा 10 बिस्वा भूमि का पर्चा लगान प्रदान किया गया था । प्रतिवादी के पूर्वज भंवरलाल के पक्ष में वर्ष 1971 में ग्राम नेडिया में 75 बीघा भूमि का आवंटन समरी खसरा संखय 31 में किया गया था । हाल खसरा संख्या 181 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा समरी खसरा संख्या 31 का ही भाग है । इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी भंवरलाल पुत्र सुल्तान को ग्राम नेडिया में समरी खसरा संख्या 31 में 75 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 20.7.1971 को किया गया था । जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 के अनुसार खसरा नंबरान 55,

57, 181, 185/201 व 1 का भंवरलाल वल्द सुल्तान चंद कौम ब्राह्मण सा0जैसलमर अलोटी गैर खातेदार नामांतकरण संख्या 11 से गैर खातेदार जर्द है । यही इंद्राज जमाबंदी संवत् 2038 से 2040, 2042 से 2042, 2043 से 2049 एवं 2050 से 2053 में बदस्तूर जारी है । यद्यपि प्रतिवादी के पक्ष में जारी आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर न होकर हस्ताक्षर की सील लगी हुई है किन्तु इससे यह नहीं माना जा सकता कि आवंटी भंवरलाल को आवंटन नहीं हुआ हो। जहां तक विवादित भूमि खसरा संख्या 181 पर कब्जे का प्रश्न है प्रतिवादी/रेस्पो0 ने अपने कब्जे के संबंध में खसरा गिरदावरियां संवत् 2032 से 2049 पेश की है । खसरा गिरदावरियों में दर्ज इंद्राज के विपरीत विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं माना जा सकता है । तुलनात्मक रजिस्टर संवत् 2022 में तैयार किया गया था जिसमें समीर खसरा संख्या 6 का रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा दर्ज किया गया है यदि उक्त समय रकबा कम दर्ज किया गया था तो वादीगण को तत्समय कार्यवाही की जानी चाहिये थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा संख्या 181 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी भंवरलाल को आवंटनशुदा है तथा आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन आदिनांक प्रभावी है । यदि वादीगण आवंटन को गलत मानते थे तो उन्हें तत्समय आवंटन को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिये थी जो भी उनके द्वारा नहीं की गई है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य पायी जाती है ।

8— परिणामतः **अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है** । राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2003 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(नरेन्द्र गुप्ता)
सदस्य